That in pursuance of Clause (a) of sub-section (2) of Section 4 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with Rule 3 and sub-rule (1)of Rule 4 of the National Shipping Board Rules, 1960, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, two Members from among the Members of the House to be the Members of the National Shipping Board.

*The question was put and the motion was adopted.*

---

## MATTER RAISED WITH PERMISSION

### Killing and injuring of innocent person and brutal rape on the woman of a minority community in Moradabad

**श्री गुलाम नबी आज़ाद** (जम्मू और काश्मीर) : माननीय चेयरमैन सर, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। 22 और 23 जुलाई की रात को दुर्भाग्य से मुरादाबाद में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 6 अल्पसंख्यक मारे गए और 13 जख्मी हुए। कांग्रेस प्रेजीडेंट मिसेज सोनिया गांधी ने परसों एक दोनों हाउसेज के 14 मेम्बरों का पार्लियामेंट का दल भेजा था। यह हमने खुद देखा। इसके बहुत सारे सदस्य यहां मौजूद हैं। वहां देखने के बाद इन्सान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल सिर्फ 6 लोगों के मारे जाने और 13 लोगों के जख्मी होने का नहीं है, लेकिन जिस तरह से औरतों, लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, यह किसी भी इन्सान, किसी भी समाज के लिए मेरे ख्याल में कलंक की बात है। मेरे ख्याल में जो इतनी घटनाएं हुई हैं, काश्मीर में जहां आतंकवाद हो रहा है, मेरे ख्याल में वहां भी इस तरह की घटना हमने नहीं देखी कि इन 13 के 13 जो जख्मी हुए और जो 6 मारे गए हैं। 19 लोगों को बेहोश किया गया, क्योंकि सबके नाक से रूई निकली। डॉक्टरों ने कहा कि रुई में कुछ मिला कर इनको बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद सभी के कपड़े उतारे गए और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उनको कुल्हाड़ी और बाकी हथियारों से काटा गया। क्योंकि वे बेहोश थे इसलिए कोई आवाज़ भी नहीं कर सकते थे। मेरे ख्याल में यह घटना न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी चौंकाने वाली है। परसों जब एक पुलिस आफिसर हमें वहां मिला तो तकरीबन दस हजार लोग वहां जमा हुए थे। उन्होंने कहा कि यह डकैती का मामला हो सकता है। माननीय चेयरमैन साहब, दोनों हाउसेज़ के हम 14 मैंबर्स ऑफ़ पार्लियामेंट इन पांच परिवारों के घरों में गए। हमने इनके घरों में एक भी दरवाजा नहीं देखा। सिर्फ एक-एक कमरा था और दरवाजा किसी का नहीं था। कपड़े न होने के बराबर थे। मेरे ख्याल में एक परिवार के पास चार सौ या पांच सौ के कपड़े और बर्तन मिला कर यह सम्पत्ति थी। इससे ज्यादा सम्पत्ति नहीं थी। जिस घर में चार सौ या पांच सौ के कपड़े और सम्पत्ति हो तो वहां उसको डकैती कैसे कह सकते हैं? माननीय सभापति जी, सब से बड़ी और शर्मनाक घटना होने के बाद आज आठवां दिन है, परसों छठे दिन जब हम लोग वहां गए थे तब भी तकरीबन 10 से 11 हजार लोग वहां जमा थे। वे एक ही चीज़ मांगते हैं कि जो मारे गए, वे तो मारे गए, लेकिन हमें न्याय चाहिए। वे न्याय चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है कि 19

आदमियों को मार दिया जाए, जख्मी कर दिया जाए और एक भी आदमी तक पकड़ा नहीं जाए। अभी तक एक भी आदमी का सुराग नहीं मिल पाया है।

इसलिए हम सरकार से न सिर्फ स्टेटमेंट चाहेंगे, बल्कि हम हाई कोर्ट के जज से इसकी इन्क्वायरी भी चाहेंगे। क्योंकि जो कुछ हमें बताया गया और जो अखबार में भी निकला, और जिस गांव में यह बलात्कार और मारपीट हुई है, वहां से तकरीबन तीन सौ मीटर की दूरी पर एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक बच्ची का बलात्कार हुआ। अखबार वाले वहां गए और उन्होंने उसकी फोटो भी छापी है। वहां पुलिस के सिपाही की एक टोपी मिली, एक बैल्ट मिली और दो स्टार मिले। वहां तकरीबन 20-30 हजार लोग जो जमा हुए थे, वे भी उठाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। बाद में लाठी चार्ज करके पुलिस ने चीज़ें जब्त कीं। तो मैं यह नहीं कह सकता कि वे उसमें मुलविस थे, लेकिन इन चीज़ों का मिलना क्या साबित करता है? कौन-सा गिरोह था जिसने यह सब किया? क्या पुलिस की भी उसमें मिली-भगत थी या खाली गिरोह था? इसलिए अगर एक खाली इंसपैक्टर पर हम यह छोड़ देंगे तो हम नहीं समझते कि इससे न्याय हो सकता है। इसलिए इसमें हाई कोर्ट के जज लेवल की इन्क्वायरी होनी चाहिए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद।

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इस मामले में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। **...(व्यवधान)...**

**श्री खान गुफरान ज़ाहिदी** (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, खून-आलूद जो कपड़े हैं एवीडेंस के तौर पर, आज तक वे वहां से उठाए नहीं गए हैं। वे उसी तरह चारपाई पर पड़े हुए हैं और लोग जाकर उन्हें देख रहे हैं। **...(व्यवधान)...** इसका मतलब है पुलिस लापरवाह है और स्थिति को देखना नहीं चाहती। **...(व्यवधान)...**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, the hon. Member has raised a very important issue. The details will have to be collected from the State Government. I have discussed this issue with the hon. Home Minister and he will be making a statement on this, the-day-after-tomorrow.

MR. CHAIRMAN: That is all *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Sir, one point. This is not a normal law and order question. Since the question of minorities is involved, it is well within the rights of this august House to find out as to what has happened *...(Interruptions)...* Now, earlier *...(Interruptions)...* Sir, you have allowed me to speak *...(Interruptions)...* The earlier statements are there. The other day, the hon. Home Minister was eloquent in talking about Article 355 and 356 *...(Interruptions)...* Is it only to be implemented in the States which are ruled by the Opposition Parties and when it comes to a State where the ruling party is governing, the Government would keep silent? *...(Interruptions)...*

When it comes to the States ruled by the NDA Party, they turn a blind eye. The other day, the police officer who is working in Tamil Nadu...(*Interruptions*)...

**श्री सुरेश पचौरी** : सर, ...**(व्यवधान)**... तीन-चार दिन पहले यह मामला इस सदन में उठा था, लेकिन अभी तक सरकार इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दे पाई है। इस का मतलब यह है कि उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ...**(व्यवधान)**... उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। ...**(व्यवधान)**... और वह संरक्षण दे रही है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री रामदास अग्रवाल** (राजस्थान) : आप की पार्टी के एक व्यक्ति ने ...**(व्यवधान)**... हमला किया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we don't accept it.

**श्री सुरेश पचौरी** : सर, उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, दलित विरोधी और गरीब विरोधी है। ...**(व्यवधान)**... और केन्द्र सरकार का भी संरक्षण मिला हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI NILOTPAL BASU: Now, the Government should come out with a statement. Enough notice has been given....(*Interruptions*)...

**श्री खान गुफरान ज़ाहिदी** : सवाल यह है कि अभी तक कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है, अभी तक कोई आदमी पकड़ा क्यों नहीं गया है ...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : सर, ...**(व्यवधान)**... लेकिन यह सरकार अभी तक इस सदन में कोई वक्तव्य नहीं दे पाई है। ...**(व्यवधान)**... एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ...**(व्यवधान)**... होना यह चाहिए था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता, होना यह चाहिए था कि पीड़ित लोगों का अस्पताल में अच्छी तरह से इलाज किया जाता ...**(व्यवधान)**...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, Smt. Phoolan Devi was killed. We have not yet heard anything from the Government. ...(*Interruptions*)...We know, this is a very efficient Government !...(*Interruptions*)...They have not yet come out with a proper statement in the House...(*Interruptions*)...

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** (झारखंड) : सर, सदन में यह आश्वासन दे दिया है कि वह वक्तव्य रखेंगे ...**(व्यवधान)**...

**श्री रामदास अग्रवाल** : सभापति जी, हत्या किसी की हो, वह मामला जरूर विचार योग्य होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इन की ही पार्टी के एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी के महा मंत्री पर गोली चलाई और उस की हत्या करने का प्रयास किया है ...**(व्यवधान)**... आप ज्यादा जोर से मत बोलिए। यह शर्म की बात है कि आप के ही एक महामंत्री ने एक दूसरे महामंत्री पर गोली चलाई और उस की हत्या करने का प्रयास किया ...**(व्यवधान)**... यह कांग्रेस के लिए शर्म की बात है ...**(व्यवधान)**... यहां आंसू बहाते हो और खुद गोलियां चलाते हो ...**(व्यवधान)**...

**श्री सुरेश पचौरी** : सर, पीड़ित लोगों का अस्पताल में इलाज तक नहीं हो रहा है ...**(व्यवधान)**... जिन्होंने बलात्कार किया है, उन को अभी तक गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, when will this discussion be held?...*(Interruptions)*...

**श्री सभापति** : परसों, This issue was raised earlier in the Chamber by the Leader of the Opposition, and we took it seriously. We had asked the Minister to make a statement on this issue in the House, as this issue had been raised earlier also. The hon. Minister had agreed to make a statement. Then, you can raise all these points, but not now. Let the other business continue....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, I seek one clarification. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The other day, the Leader of the Opposition had suggested this and the Government had accepted it. Now, Bills to be introduced....*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, the other day, Smt. Phoolan Devi was killed. The Government has not yet come out with a proper authentic statement. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record....*(Interruptions)*...Now, Shri Shriram Chauhan.

---

## GOVERNMENT BILLS

### The Warehousing Corporation (Amendment) Bill, 2001

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*The question was put and the motion was adopted.*

**श्री श्रीराम चौहान** : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पुर:स्थापित किया जाए।